अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(ऐसे अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी, तारीख–सहित ३
19.07.2013 21/2/13.	न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा भूमि विवाद निराकरण अपील संख्या 287 / 13 कुन्ती देवी एवं अन्य – अपीलार्थीगण बनाम सीता देवी एवं अन्य – प्रत्यर्थीगण वादीगण /अपीलार्थीगण का कथन है कि मौजा खुरहान, थाना वो अचल, आलमनगर, जिला – मधेपुरा अवस्थित हाल खाता 368 वो 74 के अन्तर्गत विभिन्न खेसराओं के रूप में दर्ज अपने संयुक्त पारिवारिक जमीन जायदाद का प्रतिवादी गण /प्रत्यर्थीगण के साथ विधिवत आड़–धुर देकर बॅटवारा नहीं होने की स्थिति में प्रत्यर्थीगण संख्या 01 से जो कि प्रत्यर्थीगण के परिवार की कर्त्ता वो प्रबंधक है कुल पारिवारिक जमीन, जायदाद को आपसे में आड़ –धर देकर बॅटवारा कर लेने का कई बार आग्रह किया परन्तु प्रत्यर्थीगण संख्या 01 लगातार टाल मटोल करती रही। इस बीच उसके पुत्रगण प्रत्यर्थी संख्या 02–05 संयुक्त परिवार की मूल्यवान सम्पति को वर्वाद करने वो बिना बटवारा किये मनमाने ढंग से असमाजिक तत्वों के हाथ बिक्री कर अपीलार्थीगण को उनके वाजिब हक हिस्सा से बंचित करने पर आमादा होने की स्थिति में वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 01 से सम्पति विभाजन हेतु तकादा किया लेकिन वह हिला हवाला करने लगी वादीगण संबंधियों के माध्यम से भी आड़ धुर देकर बॅटवारा करने का तगादा किया लेकिन वे इनकार कर दिये ऐसी स्थिति भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज के न्यायालय में भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या 226 / 12–13 दाखिल किया गया। अपीलार्थीगण का कथन है कि प्रतिवादीगण /प्रत्यर्थीगण न भूमि सुधार उप समाहर्त्ता न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जबाब दाखिल किया। दिनांक 29.01.2013 को उभय पक्ष का बहस सुनने के बाद उसी दिन लिखित बहस वो कागजात दाखिल करने का आदेश दिया गया। वादीगण /अपीलार्थीगण के तरफ से लिखित बहस एवं कागजात दाखिल किया गया। परन्तु इसका अवलोकन किये	

बिना ही उसी दिन यानि 29.01.13 को ही विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज द्वारा आदेश पारित करते हुए सर्वथा नाजायज वो अनुचित रूपेण वादीगण/अपीार्थीगण का वाद खारिज कर दिया गया।

निम्नन्यायालय में प्रतिवादी का कथन है कि इस वाद में पक्षकार का दोष है। खतियानी रैयत के सभी वारिसान ने जमीन बेचा है, उन सभी विक्रेताओं को पक्षकार नहीं बनाया गया है।वाद पत्र में दिये गये वंशावली अधुरा एवं अस्पष्ट है। पक्षकारों के बीच पूर्व में ही आड़ धुर देकर विभाजन हो गया अब संयुक्त परिवार है ही नहीं और न कोई कर्त्ता खानदान है। कोई सम्पति संयुक्त नहीं है।वादी मात्र तंग परेश ाानकरने के लिये यह वाद दायर किया है।

निम्नन्यायालय द्वारा पारित आदेश में कहा गया है कि वादी एवं प्रतिवादी के पूर्वज आपस में अचल सम्पत्ति का पूर्व में मौखिक बॅटवारा कर लिये थे। धुधली मंडल के बंशज को पक्षकार नहीं बनाया गया है जिस कारण इस वाद में पक्षकार का दोष है थति में इस वाद को खारिज किया जाता है।

अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन करने के उपरान्त यह पाया गया कि निम्नन्यायालय में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा स्थलीय जॉच नहीं किया गया है अतएवं इस अपीलवाद को स्वीकृत कर निम्नन्यायालय द्वारा पारित आदेश को Quash करते हुए निम्नन्यायालय को स्थलीय जॉच कराकर एवं उभयपक्षों को सुनकर समुचित आदेश ा पारित करने हेतु Remand किया जाता है। अपीलवाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

(पंकज कुमार)
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

लेखापित एवं संशोधित